रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1138] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2009/आषाढ़ 30, 1931
No. 1138] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2009/ASADHA 30, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2009

का.आ. 1800(अ).—केंद्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन कम्पनियों या कम्पनियों के वर्ग द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए लेखा नीतियों और लेखा मानक बनाने और अधिकथित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए लेखा मानक राष्ट्रीय सलाहकार समिति नाम से ज्ञात सलाहकार समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(1) श्री येजदी एच. मालेगम, चार्टर्ड एकाउंटेंट	—अध्यक्ष, (तारीख 20-7-2010 तक का पद धारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन]
(2) श्री उत्तम प्रकाश अग्रवाल, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष	—सदस्य, (तारीख 20-7-2010 तक का पद धारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(3) श्री विनायक एस. खानवलकर, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के उपाध्यक्ष	—सदस्य, (तारीख 20-7-2010 तक का पद धारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(4) श्री कुनाल बनर्जी, भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष	—सदस्य, (तारीख 20-7-2010 तक का पद धारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

(5) भारतीय रिजर्व बैंक का नामित व्यक्ति	—सदस्य, (तारीख 20-7-2010 तक का पद धारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(6) श्री के. पी. शशिधरन, आईए और एएस महानिदेशक (वाणिज्यिक) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय	—सदस्य, (तारीख 20-7-2010 तक का पद धारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(7) डॉ. आशीष के. भट्टाचार्य, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता	—सदस्य, (तारीख 20-7-2010 तक का पद धारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(8) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नामनिर्देशिती	—सदस्य, (तारीख 20-7-2010 तक का पद धारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(9) श्री साय वेंकेटश्वरण, दि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया	—सदस्य, (तारीख 20-7-2010 तक का पद धारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(10) श्री उदय वाय. फडके, द कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री	—सदस्य, (तारीख 20-7-2010 तक का पद धारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(11) श्रीमती ऊषा नारायणन, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड	—सदस्य, (तारीख 20-7-2010 तक का पद धारण करेंगी) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(12) श्रीमती रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	—सदस्य, (तारीख 20-7-2010 तक का पद धारण करेंगी) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/5/2001-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2009

S.O. 1800(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section **210A** of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an advisory committee to be called the National Advisory Committee on Accounting standards, consisting of the following Members to advise the Central Government on the formulation and laying down of accouting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies under the said Act :—

(1)	Shri Yezdi H. Malegam, Chartered Accountant	—Chairperson, (to hold office upto 20-7-2010) [under clause (a) of sub-section (2) of Section 210A]
(2)	Shri Uttam Prakash Agarwal, President of the Institute of Chartered Accountants of India	—Member, (to hold office upto 20-7-2010) [nominated under clause (b) of sub-section (2) of Section 210A]
(3)	Shri Vinayak S. Khanvalkar, Vice-President of the Institute of Company Secretaries of India	—Member, (to hold office upto 20-7-2010) [nominated under clause (b) of sub-section (2) of Section 210A]
(4)	Shri Kunal Banerjee, President of the Institute of Cost and Works Accountants of India	—Member, (to hold office upto 20-7-2010) [nominated under clause (b) of sub-section (2) of Section 210A]
(5)	Nominee of the Reserve Bank of India	—Member, (to hold office upto 20-7-2010) [to be nominated under clause (d) of sub-section (2) of Section 210A]
(6)	Shri K. P. Sasidharan, IA and AS Director General (Commercial) office of the Comptroller and Auditor General of India	—Member, (to hold office upto 20-7-2010) [nominated under clause (e) of sub-section (2) of Section 210A]
(7)	Dr. Asish K. Bhattacharyya, Professor the Indian Institute of Management, Kolkata	—Member, (to hold office upto 20-7-2010) [nominated under clause (f) of sub-section (2) of Section 210A]
(8)	Nominee of the Central Board of Direct Taxes	—Member, (to hold office upto 20-7-2010) [to be nominated under clause (g) of sub-section (2) of Section 210A]
(9)	Shri Sai Venkateshwaran, The Associated Chambers of Commerce and Industry of India	—Member, (to hold office upto 20-7-2010) [nominated under clause (h) of sub-section (2) of Section 210A]
(10)	Shri Uday Y. Phadke, The Confederation of Indian Industry	—Member, (to hold office upto 20-7-2010) [nominated under clause (h) of sub-section (2) of Section 210A]
(11)	Smt. Usha Narayanan, Executive Director, Securities and Exchange Board of India	—Member, (to hold office upto 20-7-2010) [nominated under clause (i) of sub-section (2) of Section 210A]
(12)	Smt. Renuka Kumar, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs	—Member, (to hold office upto 20-7-2010) [nominated under clause (c) of sub-section (2) of Section 210A]

2. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/5/2001-CL.-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.